बिहार सरकार
कृषि विभाग

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

महिला पॉलिटेकनिक कॉलेज के सामने, जगदेव पथ–फुलवारी रोड, पो.ऑ. बी0भी0 कॉलेज, पटना 800 014
Website: www.bameti.org Office Mob. No. – 9472278910
email : bameti.bihar@gmail.com, bameti.bihar2@gmail.com

BAMETI

पत्रांकः 286 / बामेती / 2024–25 / 1005 दिनांक 7/10/2025

प्रेषक

धनन्जय पति त्रिपाठी,
निदेशक बामेती
बिहार, पटना

सेवा में,

कुलपति, डॉ0रा0प्र0के0कृ0वि0, पूसा, समस्तीपुर
कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर
प्रबंध निदेशक, बीसा, NASC Complex, पूसा, नई दिल्ली
निदेशक, आई.सी.ए.आर.–आर.सी.ई.आर., पटना

विषयः– चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना का कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश का प्रेषण।

प्रसंग– स्वीकृत्यादेश सं0 286 / बामेती / 2024–25 / 2025–पी.पी.एम.–155 दिनांक 04.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के क्रम में कहना है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम मद से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना का वित्तीय वर्ष 2025–26 में 3125.39 लाख (इकतीस करोड़ पच्चीस लाख उनतालीस हजार) रूपये की लागत पर योजना की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना से संबंधित कार्यान्वयन अनुदेश इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

उपरोक्त कार्यान्वयन अनुदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक – यथोक्त।

(हस्ताक्षर) 7/10/2025
(धनन्जय पति त्रिपाठी)
निदेशक, बामेती
बिहार, पटना

ज्ञापांकः 286 / बामेती / 2024–25 / 1005 दिनांक 7/10/2025

प्रतिलिपि – कृषि निदेशक, बिहार, पटना / अपर निदेशक (शष्य), बिहार, पटना / निदेशक पी.पी.एम., बिहार, पटना / संयुक्त निदेशक (शष्य) सी.आर.ए. / सी.आर.ए. कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/10/2025
निदेशक, बामेती
बिहार, पटना

ज्ञापांकः 286 / बामेती / 2024–25 / 1005 दिनांक 7/10/2025

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 7/10/25
निदेशक, बामेती
बिहार, पटना

Scanned with OKEN Scanner

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना का वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये कार्यान्वियन अनुदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–155 दिनांक 04.10.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत राज्य स्कीम मद से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना के कार्यान्वियन हेतु कुल 3125.39 लाख (इकतीस करोड़ पच्चीस लाख उनतालीस हजार रूपये मात्र) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त है।

2. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम योजना बिहार के सभी 38 जिलों में लागू होगी। जिसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर 18 जिला (यथा–अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, पटना, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा एवं सुपौल), डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर 11 जिला (यथा–बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सारण, पश्चिम चम्पारण, मधुबनी एवं मुजफ्फरपुर), बोरलॉग इन्सिटीट्युट फॉर साउथ एशिया (बीसा) पूसा, समस्तीपुर 07 जिला (यथा–नालंदा, नवादा, पूर्णियां, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार एवं वैशाली), पूर्वी क्षेत्र हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पटना 02 जिला (यथा–गया एवं बक्सर) द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किया जाएगा। कार्यान्वियन एजेंसीवार/घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी अनुसूची–2, 3(i), 3(ii), 4(i) तथा 4(ii) के रूप में संलग्न है।

3. इस योजना के अंतर्गत लेजर लैंड लेवलिंग, जीरो टीलेज, बेड प्लांटिंग, फसल अवशेष प्रबंधन, डिजिटल कृषि उपकरण और मौसम आधारित परामर्श जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाया जाएगा। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करते हुए गेहूँ, मक्का, मसूर, सरसो, अलसी जैसी पारंपरिक एवं नकदी फसलों के साथ–साथ सब्जियों और दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। यह परियोजना मुख्य रूप से बिहार के किसानों को लाभान्वित करेगी। किसानों तक समय पर मौसम से संबंधित सूचना, निर्णय सहायता प्रणालियाँ और वैज्ञानिक परामर्श पहुँचाकर उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने पर विशेष बल दिया जाएगा। साथ ही, टर्मिनल हीट से बचाव हेतु 15 नवम्बर से समय पर गेहूँ की बुवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी। लेजर लैंड लेवलर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, जीरो टीलेज सीडर और रेज्ड बेड प्लांटर जैसी आधुनिक कृषि मशीनरी के प्रयोग से खेती अधिक टिकाऊ, उत्पादक और पर्यावरण हितैषी बनेगी। इस योजना के कार्यान्वियन से किसानों की फसल उत्पादकता में 25% और शुद्ध आय में 30% तक वृद्धि का लक्ष्य है और इस योजना से पर्यावरणीय और खाद्य सुरक्षा के दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।

4. **योजना का मुख्य उद्देश्य :–**

I. योजना का कार्यान्वियन बिहार के सभी 38 जिलों में किया जायेगा। प्रत्येक जिले में कुल पाँच गाँव को "रिजीलिएंस हब" के रूप में विकसित किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

योजना का घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

II. राज्य में मुख्य फसल उत्पादन प्रणालियों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु प्रमुख जलवायु आधारित समस्याओं को संबोधित करने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि के कार्यक्रम को राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा।

III. पर्यावरण के अनुकूल उचित फसल प्रणाली के माध्यम से तकनीक आधारित खेती द्वारा किसानों का आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ–साथ योजना के कार्यान्वयन से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी, जैव विविधता में वृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा।

IV. बिगड़ती जलवायु परिस्थितियाँ (बाढ़, सूखे, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि और तापमान में परिवर्तन) होने से फसल के उपज में कमी तथा क्षेत्र के फसल पैटर्न में बदलाव हो सकता है। यह राज्य की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले छोटे किसानों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण है। मौसम परिवर्तन को देखते हुए तृतीय कृषि रोड मैप के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि के कार्यक्रम चलाये गये है जिसमें किसानों को नई तकनीकों, फसल चक्र, जीरो टिलेज इत्यादि के संबंध में विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया गया है।

5. योजना अन्तर्गत संरचनात्मक विवरणी इस प्रकार है –

क. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्रामः इस घटक अन्तर्गत प्रत्येक जिला के कृषि विभाग, बिहार सरकार अन्तर्गत कृषिफार्म के निकटवर्त्ती प्रत्येक गाँव को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम के रूप में चयन किया जाएगा, जहाँ 100 एकड़ में मौसम अनुकूल फसल प्रणाली तथा तकनीकियों का प्रत्यक्षण किया जाएगा एवं किसानो का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। प्रत्येक जिले में पाँच जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम को अलग-अलग प्रखण्ड में चयन किया जायेगा। गाँव का चयन जिलावार फसल विविधीकरण का लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

ख. द्वितीयक ग्राम - I : इस घटक में प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम के पास के 02 गाँव द्वितीयक ग्राम के रूप में चयन किया जाएगा, जहाँ 50 एकड़ में मौसम अनुकूल फसल प्रणाली तथा तकनीकियों का प्रत्यक्षण किया जाएगा एवं किसानो का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा।

ग. द्वितीयक ग्राम - II : इस घटक में प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम के पास के 07 गाँव द्वितीयक ग्राम के रूप में चयन किया जाएगा, जहाँ से किसानों को जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम में बुलाकर प्रशिक्षित किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

घ. किसान/लाभार्थीः जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम के वैसे किसान जिनका डी० बी० टी० अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो, उन्हीं किसानों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। जिन किसानो का डी० बी० टी० पंजीकरण संख्या नहीं है उनका पंजीकरण, सम्बंधित कृषि समन्वयक से कराकर उन्हें योजना का लाभ दिया जा सकेगा।

ङ. प्रत्यक्षण हेतु रकवाः चयनित गाँव में किसान के पास कम से कम 0.5 तथा अधिक से अधिक 3.0 एकड़ स्वयं की या पट्टे की जमीन होना आवश्यक है। किसानों के चयन में सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुको का चयन स्वीकृत राशि के अनुसार किया जायेगा।

च. निदेशालय स्तर पर संरचनाः जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के संचालन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय स्तर पर संयुक्त निदेशक (शष्य) को प्रभारी बनाया जाएगा। जलवायु अनुकूल कृषि कोषांग में सहायक निदेशक एवं उप निदेशक भी रहेंगे तथा प्राजेक्ट मौनिटरिंग यूनिट के प्रभारी संयुक्त निदेशक (शष्य) ही होंगे।

छ. नोडल एजेन्सी का निर्धारणः जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का नोडल एजेन्सी कृषि विभाग, बिहार सरकार तथा इसका सहायक नोडल बीसा, पूसा, समस्तीपुर होगा। कार्यान्वयन एजेंसियों में योजना के नोडल, निदेशक प्रसार शिक्षा या उनके समकक्ष वैज्ञानिक होंगे। बीसा, पूसा, समस्तीपुर द्वारा थर्ड पार्टी के माध्यम से योजना का मूल्यांकन एवं समीक्षा कराया जाएगा। मूल्यांकन परियोजना के स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के तीन माह के अन्दर सम्पादित करते हुए हस्ताक्षरित मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग को बीसा, पूसा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

ज. कार्यान्वयन एजेंसीवार संरचनात्मक विवरणी निम्नवत् है –

कार्यान्वयन एजेंसी	कृषि विज्ञान केंद्र	जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम	द्वितीयक ग्राम
बि०कृ०वि०, सबौर	18	90	810
डॉ०रा०प्र०के०कृ०वि०, पूसा	11	55	495
बीसा, पूसा	7	35	315
भा०कृ०अनु०प० पटना	2	10	90
कुल	**38**	**190**	**1710**

चयनित ग्रामों की सूची विभाग को कार्यक्रम की स्वीकृति के एक माह के अन्दर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। जिसमें यह भी उल्लेख रहेगा कि गांव चयन का आधार क्या है।

Scanned with OKEN Scanner

985

6. जिला स्तर पर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति

जिला स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में कृषि विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक होंगे। कार्यान्वयन एजेंसियों के तकनिकी कर्मी अपने जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत चयनित ग्राम के कृषि समन्वयक एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी से सामंजन रखते हुए कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे।

7. योजना अन्तर्गत घटकवार विवरणी निम्नवत् है –

क. फसल प्रत्यक्षण (रबी/गरमा) –इस घटक अन्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जिलावार/गाँववार फसल प्रत्यक्षण अनुसूची–2, 3(i), 3(ii), 4(i) एवं 4(ii) के अनुसार कार्यान्वित किया जायेगा।

प्रत्यक्षण के माध्यम से दलहन एवं तेलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। प्रत्यक्षण कार्यक्रम में धान के संकर प्रभेदों के बीज का उपयोग भी किया जायेगा, जिसका क्रय बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना से किया जाएगा।

दीर्घकालीन फसल प्रणाली प्रयोग – इस घटक अन्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसीयों द्वारा संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रक्षेत्र में जिला के मौसम के अनुकूल फसल प्रणाली तथा उचित प्रभेदों की पहचान कर कुल 1.0 हेक्टेयर रकवा में कुल 10 भिन्न–भिन्न फसल प्रणालियों का फसल प्रत्यक्षण का ट्रायल किए जाएंगे। स्वीकृत घटक हेतु प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र को 1.5 लाख रूपये राशि कर्णांकित है जिसमें फसल प्रत्यक्षण में बोर्ड/प्लैक्स की राशि भी सम्मिलित है।

(भौतिक लक्ष्य– एकड़/वित्तीय लक्ष्य–लाख रूपये में)

बि0कृ0वि0, सबौर		डॉ0रा0प्र0के0कृ0 वि0, पूसा		बीसा, पूसा		भा0कृ0अनु0प0 पटना		कृषि विभाग, बिहार, सरकार		कुल	
भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
18	27.00	11	16.50	7	10.50	2	3.00	0	0.00	38	57.00

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक फसल का कम–से–कम 3 फसल जाँच कटनी कराया जायेगा तथा फसल कटनी से संबंधित डाटा की तुलना सरकारी डाटा के अनुसार करते हुए प्रतिवेदित किया जायेगा। सभी जिलों के प्रत्येक फसल जाँच कटनी का डेटा रहे ताकि प्रगति की समीक्षा की जा सकी। प्रत्येक सी0आर0ए0 प्लॉट का जियो टैगिंग डिजीटल क्रॉप सर्वे संबंधित कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के माध्यम से कराया जायेगा तथा योजना से संबंधित डेटा चारों कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ई–एग्रोलॉजी पर उपलब्ध कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

उर्वरक का उपयोग–सभी कार्यान्वियन एजेंसियाँ यह सुनिश्चित करेंगे कि फसल प्रत्यक्षण में किसानों द्वारा संतुलित उर्वरकों का उपयोग किया जाएगा। पूर्व में जलवायु अनुकूल कृषि योजना अंतर्गत क्रय किए गए ग्रीन सीकर एवं लीफ कलर चार्ट का उपयोग कर किसानों को नेत्रजन उर्वरकों का संतुलित मात्रा की अनुशंसा की जाए। प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम से 10 मिट्टी का नमूना जाँच हेतु लिया जायेगा तथा इसके आधार पर भी उर्वरकों के संतुलित मात्रा की अनुशंसा की जाएगी।

ख. अन्य योजनाओं के साथ एकीकरण :-

I. कस्टम हायरिंग सेंटर– जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित ग्राम में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के माध्यम से की जाएगी। पूर्व में उपलब्ध मशीनों का मरम्मति कराया जाना है जिसके लिए 50,000/– रू0 स्वीकृत किया गया है। पूर्व से जलवायु अनुकूल कृषि योजना अंतर्गत क्रय किए गए मशीनों को किराया के आधार पर (ईंधन एवं चालक की राशि) पर योजना अंतर्गत पारदर्शी तरीके से चयनित किसानों के यहाँ भी चलाया जा सकता है।

II. सरसों के क्षेत्रों में इसके प्रत्यक्षण के अतिरिक्त मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु 50 मधुमक्खी बॉक्स उद्यान निदेशालय के माध्यम से प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम में उपलब्ध कराया जायेगा।

III. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित ग्राम में 50 एकड़ में पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

IV. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत चयनित ग्राम में वर्मीकम्पोस्ट की 10 इकाई की स्थापना प्राकृतिक खेती के माध्यम से करायी जाएगी।

V. प्रत्येक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम से 10 मिट्टी का नमूना जाँच हेतु सम्बंधित कृषि समन्वयक द्वारा लिया जायेगा जिसका जाँच मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में कराया जायेगा।

उपरोक्त क्रमांकः I-V तक का विभागीय योजनाओं के नोडल पदाधिकारी से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी द्वारा समन्वय स्थापित कर कार्य सम्पादित कराया जायेगा।

ग. सीड हब का विकास– बीज का उत्पादन कृषि विभाग, बिहार सरकार अन्तर्गत फार्म में तथा इसके अन्तर्गत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम ग्राम में अनुसूची–12 के अनुसार किया जायेगा। उत्पादित बीज को बी0आर0बी0एन0 लि0, पटना द्वारा फसल के MSP + 30% राशि पर खरीदा जाएगा। संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक द्वारा इस योजना अन्तर्गत कार्यरत क्लस्टर कोऑर्डिनेटर तथा तकनीकी सहायक की देखरेख में किसान के खेत में बीज का उत्पादन किया जाएगा। योजना के कार्यान्वियन के पूर्व बिहार राज्य बीज

Scanned with OKEN Scanner

953

निगम लि0, पटना के साथ समझौता ज्ञापन (एम0 ओ0 यू0) किया जायेगा। बसोका, बिहार, पटना से बीज प्रमाणन की अनिवार्यता होगी।

घ. क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट– इस घटक अन्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसी जिले के फसल प्रत्यक्षण के अनुसार प्रशिक्षण से संबंधित विषय को निर्धारित करते हुए मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किसानों के प्रक्षेत्र पर कराया जाएगा तथा प्रशिक्षणार्थियों का बायोमैट्रिक्स उपस्थिति से संबंधित कार्य तकनीकी सहायक के द्वारा किया जाएगा। सभी प्रशिक्षण चिन्हित गाँव में हो, किसानों का किसानों के खेतों से सीधे इंटरवेंशन और प्रैक्टिसेज का व्यवहारिक प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा। प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट का कार्यक्रम स्वीकृति के एक माह के अन्दर तैयार कर विभाग को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट का घटकवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–8 (I ,II,III) के रूप में संलग्न है।

ङ. कार्यशाला और स्टेक होल्डर की बैठक– इस घटक अन्तर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा परियोजना शुभारंभ, प्रत्येक वर्ष योजना की समीक्षा, स्टेक होलडर की बैठक तथा इस योजना की उन्नत प्रणाली अपनाने हेतु किसानों को प्रेरित करने के लिए कार्यशाला आयोजित किया जायेगा। कार्यशाला और स्टेक होल्डर की बैठक घटकवार/एजेंसीवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–9 के रूप में संलग्न है। कार्यशाला और बैठक का कैलेन्डर तैयार कर विभाग को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

च. **परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा**– बीसा, पूसा, समस्तीपुर के द्वारा थर्ड पार्टी के माध्यम से परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कराया जाएगा।

छ. **परियोजना निगरानी इकाई–पीएमयू :** प्रत्येक जिला में 02 तकनीकी सहायक तथा 01 क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होंगे जो इन 05 गाँवों में योजना को कार्यान्वित करेंगे। इनकी योग्यता कृषि स्नातक (कृषि/उद्यान) रहेगें। सभी चयनित तकनीकी सहायक एवं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केन्द्र में न बैठकर संबंधित प्रक्षेत्र/गाँवों पर ही रहेंगे। कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा नियोजन से संबंधित कार्य के दौरान प्रतीक्षा सूचि 01 साल तक मान्य होगी। परियोजना निगरानी ईकाई अन्तर्गत सदस्यों के नियोजन में बिहार सरकार द्वारा नियोजन के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रत्येक नियोजन में अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया जायेगा कि नियोजित कर्मी सरकारी कर्मी का दावा नहीं करेंगे तथा नियोजन का पद पूर्णतः अस्थायी है।

D:\YOJNA 2025-26\ASO1 (Gaurav)\Karyawayan Anudesh\cra anudesh.doc

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना स्टाफ अन्तर्गत सदस्यों का एजेंसीवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य से संबंधित विवरणी अनुसूची–10 के रूप में संलग्न है। अन्ताराष्ट्रीय सलाहकार हेतु स्वीकृति राशि का उपयोग सलाहकार की परियोजना में उपयोगिता और सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखकर ही नोडल पदाधिकारी द्वारा व्यय किया जायेगा।

ज. आकस्मिकता/पी0ओ0एल0/परिचालन व्यय– योजना के कार्यान्वयन में आकस्मिकता हेतु प्रस्तावित राशि का उपयोग भाड़े का वाहन/वाहन का ईंधन, प्रगतिशील किसानों के प्रक्षेत्र पर बोर्ड एवं फ्लैक्स तथा स्टेशनरी से संबंधित कार्य हेतु किया जाएगा।

जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को बचत खाता राज्य में अवस्थित बैंक में खोलना आवश्यक होगा।

8. वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु नवसृजित लक्ष्य :–

I. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 05 मुख्य गांव "रिजीलिएंस हब" के रूप में कार्य करेंगे और तकनीकी नवाचार का केंद्र बनेंगे साथ ही साथ आसपास के 45 गांवों (द्वितीयक गांवों) में तकनीक का प्रचार–प्रसार और क्षमता संवर्धन "रिजीलिएंस हब" के जरिये किया जाएगा। इस प्रकार कुल 190 मुख्य गांव और 1710 द्वितीयक गांव अर्थात लगभग 1900 गांवों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

II. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में फसल विविधीकरण को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि किसान एक ही फसल पर निर्भर न रहें और बदलते मौसम या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इसके अंतर्गत किसानों को गेहूँ जैसी परंपरागत फसलों के साथ–साथ दलहन, तेलहन, सब्जियाँ और बागवानी फसलों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा जिसमें रबी का रकवा 22063 एकड़ एवं गरमा 13238 एकड़ होगी। फसल प्रत्यक्षण यथा– जीरो टिलेज गेहूँ 3980 एकड़, मक्का 3457 एकड़, मोटा अनाज 881 एकड़, मसूर 1836 एकड़, सरसों 2868 एकड़ और अलसी/सूर्यमुखी 1199 एकड़, सब्जियाँ 17606 एकड़ (रबी 8825 एकड़ एवं गरमा 8781 एकड़) में लगाये जायेंगें। सभी कार्यान्वयन एजेंसीयों द्वारा स्वीकृत और कार्यान्वित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का हस्ताक्षरित प्रतिवेदन विभागीय नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक माह के 05वीं तारीख तक ऑनलाईन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। रबी एवं गरमा फसल प्रत्यक्षण हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल स्वीकृत राशि में से 2043.64 लाख (बीस करोड तैतालीस लाख चौसठ हजार रूपये मात्र) का व्यय किया जायेगा।

III. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में सभी कार्यान्वयन एजेंसीयों द्वारा संबंधित कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रक्षेत्र में जलवायु अनुकूल फसल प्रणाली तथा उचित प्रभेदों की पहचान कर कुल 1.0 हेक्टेयर रकवा में कुल 10 भिन्न–भिन्न दीर्घकालिक फसल

Scanned with OKEN Scanner

परीक्षणों का प्रत्यक्षण किये जाऐंगे। जिसका उद्देश्य विभिन्न कृषि–जलवायु परिस्थितियों में खेती प्रणालियों का विकास और मूल्यांकन करना है। दीर्घकालिक परीक्षणों हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल स्वीकृत राशि में से 57.00 लाख (सन्तावन लाख रूपये मात्र) का व्यय किया जायेगा।

IV. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में जिला/प्रखंड स्तर पर चयनित गाँव को सीड हब के रूप में चयनित किया जाएगा और कुल 100 एकड़ क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन किया जाएगा, जिससे किसानों को अनुकूलित किस्मों के बीज को उपलब्ध कराया जाएगा। सीड हब हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल स्वीकृत राशि में से 205.00 लाख (दो करोड़ पाँच लाख रूपये मात्र) का व्यय किया जायेगा।

V. जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम अंतर्गत चयनित गाँव के 13,706 किसानों का प्रशिक्षण और सहायक जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम गाँव के 61,678 किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। साथ ही, परिभ्रमण/मेले में 2,113 किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। इस प्रकार कुल 77,497 किसानों को प्रशिक्षित किया जायेगा। क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, परिभ्रमण/मेला, स्टेक होल्डर कार्यशाला एवं परियोजना मूल्यांकन हेतु योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल स्वीकृत राशि का 308.73 लाख (तीन करोड़ आठ लाख तिहत्तर हजार रूपये मात्र) का व्यय किया जायेगा।

VI. योजना अन्तर्गत 30,900 मानव दिवस का सृजन होना सम्भावित है। प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी विभागीय नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक माह के 05वीं तारीख तक हस्ताक्षरित प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

9. परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी समिति

राज्य स्तर पर परियोजना को संचालन समिति द्वारा कार्यान्वित और निगरानी की जाएगी। इस कार्यान्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक साल में 02 बार की जाऐगी जिसमें परियोजना का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इस समिति के द्वारा किए गए सुझाओं को इस परियोजना में लागू किया जाएगा।

- प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार – अध्यक्ष
- बीसा के प्रबंधक निदेशक – सदस्य
- कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर – सदस्य
- कुलपति, राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा – सदस्य
- कृषि निदेशक, बिहार सरकार – सदस्य
- निदेशक, उद्यान, बिहार सरकार – सदस्य
- डॉ. गोपाल सिंह, माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी – सदस्य
- निदेशक पी.पी.एम., बिहार सरकार – सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

- निदेशक, बामेती – सदस्य
- निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान – पूर्वी क्षेत्र के लिए, पटना – सदस्य
- निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – अटारी (जोन–IV), पटना – सदस्य
- संयुक्त निदेशक (शष्य) – नोडल पदाधिकारी एवं सदस्य सचिव
- संयुक्त निदेशक (कृषि अभियंत्रण) – सदस्य
- संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच – सदस्य
- प्रोजेक्ट लीडर/वैज्ञानिक (बीसा) – सदस्य

निदेशक बामेती
बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner